लोक सम्पर्क विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन

www.chandigarh.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

चण्डीगढ़, 21 जुलाई – अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त और डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने आज सेक्टर-46डी के आशा किरण व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में 'सर्टिफिकेट वितरण समारोह' आयोजित किया। समाज कल्याण निदेशक श्री सम्वर्तक सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। आशा किरण सेक्टर-46 और सशक्तिकरण केंद्र सेक्टर-19 द्वारा चलाए जा रहे संबंधित ट्रेडों के कुल 68 उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने पर पुरस्कृत किया गया। लाभार्थियों को मासिक चैक भी वितरित किए गए।

चण्डीगढ़ के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त और डेवलपमेंट कार्पोरेशन कई व्यावसायिक ट्रेडों में जैसे कंप्यूटर शॉफ्टवेयर कोर्स, कटिंग और टेलरिंग, ड्रैस डिजाइनिंग और ब्यूटी कल्चर में प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है और अनुसूचित जाति से संबंधित लाभार्थियों को वजीफा भी दिया जा रहा है।

समारोह के दौरान श्री सम्वर्तक सिंह ने कहा कि संबंधित ट्रेडों के लाभार्थियों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत कर सर्टिफिकेट और वजीफा दिया जा रहा है और लाभार्थियों को प्रेरित करते हुए कार्पोरेशन द्वारा अन्य आर्थिक योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। वित्तीय सहायता के तहत वे अपने वेंचर के लिए मात्र का 3 प्रतिशत से 6 प्रतिशत ब्याज दर प्राप्त कर सकते हैं और इसे में 36 महीनों से 60 महीनों के भीतर चुकता किया जा सकता हैं।

श्री सिंह ने आगे कहा कि लोन पर समाजिक न्याय मंत्रालय और सशक्तिकरण, नई दिल्ली की गाइडलाइन्स के अनुसार सब्सिडी भी दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि लोन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है और गवर्नमेंट एंप्लाई को 25,000 हजार की राशि पर कोई जमानत की आवश्यकता नहीं है और एक कॉपी आई.टी.आर. तीसरी पार्टी द्वारा भरने पर स्वीकृत की जा सकती है।